

रिपोर्ट पटवादी हल्का / आई०एल०आर०  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

164  
 2020

भूखण्ड प्रविष्टि निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर तहसीलदार के कार्यालय में दर्ज किया जावे।  
 फतेहिह झा की जमीन का तहसीलदार श्रीजीन्द सिंह शंकरा 53  
 फतेहिह झा की जमीन का तहसीलदार श्रीजीन्द सिंह शंकरा 53

कामांक - राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाय उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरक्षा की जाती है / की जाती है।

*(Signature)*

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 18/10/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०आ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०आ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हमपुरा	2075-78	110	श्रीजीन्द सिंह फतेहिह झा	श्रीजीन्द सिंह शंकरा फतेहिह झा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त नि पालना की जावे।

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :-

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 148-49

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०आ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया



को सूचना

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी